पेराई सत्र 2017–18 में घटतौली पर अंकुश लगाने हेतु निर्गत निर्देशों का बुलेट प्वाइंट

- निरीक्षण पंजिका निर्धारित प्रारूप पर मुद्रित कराने का निर्देश।
- प्रत्येक चीनी मिल गेट पर 10 टन क्षमता का मैनुअल कॉटा स्थापित करना किया गया अनिवार्य।
- पूर्व में दण्डित तौल कर्मी को तौल लाइसेंस न हो जारी।
- क्रयकेन्द्रों पर स्थानीय तौल लिपिकों को तैनाती नहीं।
- लाटरी प्रकिया से तौल लिपिकों का पाक्षिक स्थानान्तरण ।
- अशुद्ध कॉटा/घटतौली 24 घंटे के अंदर तौल लिपिक का लाइसेंस हो निलंबित।
- विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण करने हेतु लक्ष्य किया गया निर्धारित।
- सप्लाई पर्ची एव कैलेण्डर के पृष्ठ भाग पर "घटतौली दण्डनीय अपराध है" का स्लोगन अंकित।
- बांट माप विभाग द्वारा कॉटो की स्टैपिंग कराया जाना अनिवार्य।
- गन्ना किसानों को स्मार्ट पेमेन्ट के अन्तर्गत पर्ची से एस.एम.एस. से गन्ना तौल की व्यवस्था।
- क्रय केन्द्रों से तौल लिपिक के भागने पर तौल लिपिक के साथ–साथ चीनी मिल के विरूद्ध भी कार्यवाई।
- शिकायत निस्तारण हेतु चीनी मिल में 24 घंटे संचालित रहेगा, कंट्रोल रूम।
- क्रय केन्द्रों पर किसानों से लोडिंग/अनलोडिंग हेतु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क देय नहीं।
- चीनी मिल के तौल कॉटों की शुद्धता हेतु धर्म कॉटों का चिन्हांकन।
- प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्षेत्रीय अधिकारियों के मो0नं0 एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 का टोल फ्री.नं0 18001213203 फ्लैक्स बोर्ड पर।

Recent points

गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
17,न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या 116/A दिनांक 03 जनवरी, 2018

आदेश

वर्तमान पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों के निरीक्षण एवं क्रयकेन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं एवं घटतौली के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निम्न तालिका में उनके पदनाम के सम्मुख अंकित मण्डल में निरीक्षण हेतु विशेष रूप से जनपदों का आवंटन किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 4 एवं 5 जनवरी को विशेष रूप से आवंटित जनपदों का भ्रमण कर पत्र के साथ संलग्न घटतौली से संबंधित बिन्दुओं एवं भ्रमण के समय संज्ञान में आए अन्य बिन्दुओं के अनुसार निरीक्षण/जॉच कर अपनी निरीक्षण आख्या परिक्षेत्र भ्रमण के उपरान्त 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनको आवंटित जनपद में स्थित सभी चीनी मिलों का कम–से–कम एक क्रयकेन्द्र का निरीक्षण अवश्य किया जाये।

निरीक्षण गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए तथा संज्ञान में आये तथ्यों की गहराई से जॉच की जाए। निरीक्षण के दौरान कृषकों की कोई समस्या संज्ञान में आती है तो उसका भी तत्काल निराकरण कराया जाये।

क्र.सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	आवंटित मण्डल	क्रयकेन्द्रों के निरीक्षण हेतु विशेष रूप से आवंटित जनपद
1	उप गन्ना आयुक्त, सहारनपुर	मुरादाबाद	बिजनौर
2	उप गन्ना आयुक्त, मेरठ	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर
3	उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद	मेरठ	मेरठ
4	उप गन्ना आयुक्त, बरेली	लखनऊ	लखीमपुर खीरी
5	उप गन्ना आयुक्त, फैजाबाद	बरेली	बरेली
6	उप गन्ना आयुक्त, देवीपाटन	गोरखपुर	बस्ती/गोरखपुर
7	उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर	देवरिया	कुशीनगर
8	उप गन्ना आयुक्त, देवरिया	फैजाबाद	अंबेडकरनगर
9	उप गन्ना आयुक्त, मुख्यालय	देवीपाटन	गोण्डा/बलरामपुर

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या– 116/पी   तद्दिनांक– 03/01/18

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास,उ.प्र.।

2–समस्त संबंधित अधिकारियों को आदेश अनुपालनार्थ।

3–समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को सूचित करने तथा भ्रमण के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

03/1/2018

(एन.पी.सिंह)
अपर चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।